

कॉरपोरेशन आदेश संख्या 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का पेंशन पुनरीक्षण विवरण

क्रमांक	पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का नाम	पदनाम	कोषागार का नाम	डिस्पैच	दिनांक
1	श्री जय कृष्ण सक्सेना	अवर अभियन्ता	मुरादाबाद	2223	27.02.19
2	श्री विजय शंकर दीक्षित	अवर अभियन्ता	वाराणसी	2460	07.03.19
3	श्री विनोद कुमार गुप्ता	अवर अभियन्ता	वाराणसी	2458	07.03.19
4	श्रीमती विमला देवी पत्नी स्व० मदन लाल	अवर अभियन्ता	मुजफ्फरनगर	2368	05.03.19
5	श्री हरिहर सिंह	संगणक	वाराणसी	2477	07.03.19
6	श्रीमती सुमन वर्मा पत्नी स्व० देवेन्द्र सिंह	अवर अभियन्ता	बिजनौर	1966	21.02.19
7	श्री सुरेश चन्द्र जेन	अवर अभियन्ता	झांसी	1973	21.02.19
8	श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव	अवर अभियन्ता	रायबरेली	1976	21.02.19
9	श्री नसीरुद्दीन अन्सारी	अवर अभियन्ता	सीतापुर	1978	21.02.19
10	श्री महेन्द्र कुमार शर्मा	तकनीकी सहायक	मुरादाबाद	1967	21.02.19
11	श्री संजय सिंह पुत्र स्व० धर्म दीपक सिंह	मुख्य सहायक	लखनऊ	2112	25.02.19
12	श्री राजपाल सिंह	अवर अभियन्ता	अलीगढ़	2365	05.03.19
13	श्री महेन्द्रपाल सिंह	अवर अभियन्ता	फतेहगढ़	1758	15.02.19
14	श्री सुरेश चन्द्र शर्मा	अवर अभियन्ता	बुलन्दशहर	1454	06.02.19
15	श्री ओम सरन सक्सेना	अवर अभियन्ता	आगरा	1321ए	13.02.19
16	श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता	अवर अभियन्ता	आगरा	1647	13.02.19
17	श्रीमती मंजू माथुर पत्नी स्व० बी०पी० माथुर	अवर अभियन्ता	आगरा	1672	13.02.19
18	श्री नन्द किशोर सक्सेना	अवर अभियन्ता	आगरा	1646	13.02.19
19	श्री राम करन यादव	अवर अभियन्ता	रायबरेली	1409	05.02.19
20	श्री मैरो प्रसाद श्रीवास्तव	अवर अभियन्ता	रायबरेली	1385	04.02.19
21	श्री राम राज सिंह	अवर अभियन्ता	रायबरेली	1382	04.02.19
22	श्री राम सिंह	अवर अभियन्ता	रायबरेली	1459	07.02.19
23	श्री सन्तोष कुमार श्रीवास्तव	संगणक	गोरखपुर	1277	01.02.19
24	श्री राजेन्द्र सिंह	अवर अभियन्ता	गोरखपुर	1270	31.01.19
25	श्री महेन्द्र प्रसाद	अवर अभियन्ता	कसया	1298	01.02.19
26	श्री कृष्ण मोहन शुक्ला	अवर अभियन्ता	गोरखपुर	971	24.01.19
27	श्री सूरज नारायण दूबे	अवर अभियन्ता	गोरखपुर	1430	05.02.19
28	श्री मुनीश्वर दयाल सक्सेना	अवर अभियन्ता	बरेली	1118	29.01.19
29	श्री सन्त प्रसाद श्रीवास्तव	अवर अभियन्ता	रायबरेली	1478	07.02.19
30	श्री रमेश चन्द्र शर्मा	अवर अभियन्ता	आगरा	1673	13.02.19
31	श्रीमती उर्मिला अरोरा पत्नी स्व० जगदीश प्रसाद अरोरा	अवर अभियन्ता	बरेली	1932	20.02.19
32	श्री प्रवीन चन्द्र वर्मा	अवर अभियन्ता	बरेली	1467	07.02.19
33	श्री गोविन्द राम	अवर अभियन्ता	मुरादाबाद	1871	18.02.19
34	श्री राम गोपाल गुप्ता	अवर अभियन्ता	मुरादाबाद	1888	18.02.19
35	श्रीमती प्रेमवती पत्नी स्व० बांके बिहारी गुप्ता	अवर अभियन्ता	मथुरा	1624	12.02.19
36	श्री योगेन्द्र कुमार	अवर अभियन्ता	मथुरा	1477	07.02.19
37	श्री श्याम स्वरूप चतुर्वेदी	अवर अभियन्ता	मुरादाबाद	1316	02.02.19
38	श्री अलख नारायण सिंह	अवर अभियन्ता	वाराणसी	1199	30.01.19
39	श्रीमती मालती ओझा पत्नी स्व० भास्कर ओझा	अवर अभियन्ता	प्रयागराज	1050	28.01.19
40	श्री सुरेन्द्र प्रसाद शुक्ला	अवर अभियन्ता	प्रयागराज	1569	08.02.19
41	श्री प्रान नाथ अरोरा	अवर अभियन्ता	मेरठ	1449	06.02.19
42	श्री धन प्रकाश अग्रवाल	अवर अभियन्ता	मेरठ	1591	11.02.19

क्रमांक	पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का नाम	पदनाम	कोषागार का नाम	डिस्पैच	दिनांक
43	श्री कमलेश बालूजा	कार्यालय सहायक-द्वितीय	मेरठ	1461	07.02.19
44	श्री राजा राम गुप्ता	अवर अभियन्ता	वाराणसी	1463	07.02.19
45	श्री जगदीश प्रताप सिंह	अवर अभियन्ता	वाराणसी	1587	11.02.19
46	श्री मुन्नीलाल	अवर अभियन्ता	आगरा	1448	06.02.19
47	श्री प्रभात कुमार	कार्यालय सहायक-प्रथम	मेरठ	1315	02.02.19
48	श्री विशम्बर सिंह गुगलानी	अवर अभियन्ता	मेरठ	1105	29.01.19
49	श्री प्रेम चन्द्र	अवर अभियन्ता	मेरठ	1401	05.02.19
50	श्री राजेन्द्र प्रसाद गोस्वामी	अवर अभियन्ता	आगरा	1665	13.02.19
51	श्री हरिशंकर वार्ष्णेय	अवर अभियन्ता	आगरा	1666	13.02.19
52	श्रीमती हेमलता पत्नी स्व० काछीमल गुप्ता	अवर अभियन्ता	मेरठ	1663	13.02.19
53	श्री सुरेन्द्र कुमार ग्रोवर	अवर अभियन्ता	लखनऊ	1756	15.02.19
54	श्री राम कुमार गुप्ता	अवर अभियन्ता	गाजियाबाद	1207	30.01.19
55	श्री अशोक कुमार सक्सेना	अवर अभियन्ता	रामपुर	1557	08.02.19
56	श्री अब्दुल मुनीम खाँ	अवर अभियन्ता	रामपुर	1549	08.02.19
57	श्री हरिनाम सिंह	अवर अभियन्ता	कानपुर	1919	20.02.19
58	श्री सत्य देव प्रसाद	अवर अभियन्ता	कानपुर	1670	13.02.19
59	श्री सतीश कुमार अग्रवाल	अवर अभियन्ता	गाजियाबाद	2055	25.02.19
60	श्री भगवत स्वरूप	अवर अभियन्ता	गाजियाबाद	1558	08.02.19
61	श्री नरेश कुमार शर्मा	अवर अभियन्ता	गाजियाबाद	1357	04.02.19
62	श्री कृष्ण गोपाल वार्ष्णेय	अवर अभियन्ता	गाजियाबाद	1641	12.02.19
63	श्रीमती शकुन्तला अरोड़ा पत्नी स्व० राधेश्याम अरोड़ा	अवर अभियन्ता	गाजियाबाद	1474	07.02.19
64	श्रीमती लिली चक्रवर्ती पत्नी स्व० रामनाथ चक्रवर्ती	फैरोमैन	सोनभद्र	1634	12.02.19
65	श्रीमती धर्मशीला देवी पत्नी स्व० अमरनाथ	अवर अभियन्ता	सोनभद्र	1394	05.02.19
66	श्री मोती लाल	अवर अभियन्ता	सोनभद्र	785	13.02.19
67	श्री अभय कुमार	अवर अभियन्ता	बलिया	1332	02.02.19
68	श्री हृदय नारायण पाण्डेय	अवर अभियन्ता	बलिया	1410	05.02.19
69	श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी स्व० राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	अवर अभियन्ता	नोएडा	1095	29.01.19
70	श्रीमती शीला देवी पत्नी स्व० भानू प्रकाश शर्मा	अवर अभियन्ता	नोएडा	1102	29.01.19
71	श्री सागर चन्द्र जैन	अवर अभियन्ता	नोएडा	1222	31.01.19
72	श्री राज कुमार भसीन	अवर अभियन्ता	गाजियाबाद	1282	01.02.19
73	श्री रामपाल सिंह	अवर अभियन्ता	गाजियाबाद	1620	12.02.19
74	श्री मोहन प्रसाद	अवर अभियन्ता	सोनभद्र	1291	01.02.19
75	श्री रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल	अवर अभियन्ता	मथुरा	1568	08.02.19
76	श्रीमती कनीज फातिमा पत्नी स्व० रहमत अली	कार्यालय सहायक-प्रथम	लखनऊ	1473	06.02.19
77	श्री जकी उल्ला खाँ	अवर अभियन्ता	लखनऊ	1344	02.02.19
78	श्री गोपाल नारायण सक्सेना	अवर अभियन्ता	लखनऊ	1662	13.02.19
79	श्रीमती मालती श्रीवास्तव पत्नी स्व० विनोद कुमार श्रीवास्तव	अवर अभियन्ता	लखनऊ	1775	15.02.19
80	श्री जगदीश प्रसाद वर्मा	अवर अभियन्ता	लखनऊ	1644	13.02.19
81	श्री राम सेवक पाल	अवर अभियन्ता	लखनऊ	1833	18.02.19
82	श्री अरुण कुमार मिश्रा	अवर अभियन्ता	लखनऊ	1776	15.02.19
83	श्रीमती श्याम लता पत्नी स्व० जगदीश चन्द्र श्रीवास्तव	तकनीकी सहायक	लखनऊ	1588	11.02.19
84	श्री मो० असलम	अवर अभियन्ता	लखनऊ	1621	12.02.19
85	श्री श्रीपाल सिंह	अवर अभियन्ता	बुलन्दशहर	977	24.01.19

क्रमांक	पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का नाम	पदनाम	कोषागार का नाम	डिस्पैच	दिनांक
86	श्रीमती पदमा दुबे पत्नी स्व० सन्तोष कुमार दुबे	अवर अभियन्ता	इटवा	1440	06.02.19
87	श्री सुभाष चन्द्र	अवर अभियन्ता	सहारनपुर	1462	07.02.19
88	श्री महबूब हसन	अवर अभियन्ता	सहारनपुर	1583	11.02.19
89	श्री अवतार सिंह	अवर अभियन्ता	सहारनपुर	1582	11.02.19
90	श्री दर्शन कुमार	अवर अभियन्ता	सहारनपुर	1117	29.01.19
91	श्री मीर सिंह	अवर अभियन्ता	सहारनपुर	1037	25.01.19
92	श्री हरीश बाबू सक्सेना	अवर अभियन्ता	गाजियाबाद	1333	02.02.19
93	श्रीमती रीना कुमारी पत्नी स्व० अमर सिंह	अवर अभियन्ता	अलीगढ़	1637	12.02.19
94	श्री चन्द्रभान	अवर अभियन्ता	अलीगढ़	1442	06.02.19
95	श्रीमती कुमुद श्रोतिया पत्नी स्व० हरि प्रसाद श्रोतिया	अवर अभियन्ता	अलीगढ़	1099	29.01.19
96	श्री दुर्गा विजय सिंह	अवर अभियन्ता	अलीगढ़	981	24.01.19
97	श्री उमेश चन्द्र	अवर अभियन्ता	अलीगढ़	1567	08.02.19
98	श्री शिव कुमार गुप्ता	अवर अभियन्ता	अलीगढ़	1330	02.02.19
99	श्री हर प्रसाद सिंह	अवर अभियन्ता	अलीगढ़	1321	02.02.19
100	श्रीमती कुसुम पत्नी स्व० यशपाल सिंह	अवर अभियन्ता	अलीगढ़	1759	15.02.19



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 2223/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2561 (टी०सी०)/05-06 दिनांक: 27.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मुरादाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री जय कृष्ण सक्सैना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री जय कृष्ण सक्सैना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2852 दिनांक 04.07.2006
(ग) जन्मतिथि	:	01.07.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती मीना सक्सैना
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
- | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 30.06.2001 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 16400-20000 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 37400-67000 ग्रे०पे० 8900 |
| (घ) वेतन | : | 20000/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 7485/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 2994/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 4491/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | - |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 4560/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 65 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	68497/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	68497/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2994/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	65503/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 2223/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2561 (टी०सी०)/05-06 दिनांक: 27.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशारी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुरादाबाद।
- श्री जय कृष्ण सक्सैना, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ए-42, दीनदयाल नगर, एम०डी०ए०, कॉठ रोड, मुरादाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 2460 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 1147 / 03-04

दिनांक: 07.03.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री विजय शंकर दीक्षित, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री विजय शंकर दीक्षित, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1457 दिनांक 13.10.2003
(ग) जन्मतिथि	:	01.04.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती दुर्गावती देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
- | | | |
|------------------------------------|---|----------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त / मृत्यु तिथि | : | 31.03.2001 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 8550-13500 |
| (ग) वेतनमान / वेतन बैंड (ग्रेड पे) | : | (9300-34800 ग्रेड पे 5400) |
| (घ) वेतन | : | 10200 /- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 4880 /- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 1952 /- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 2928 /- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | लागू नहीं /- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 2970 /- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 66 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	63300 /-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार (50%)	:	31650 /-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550 /-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	31650 /-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	1952 /-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	29698 /-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं /-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	18990 /-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन / पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित / संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2460 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 1147 / 03-04
प्रतिसिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 07.03.19

पंजीकृत-
पंजीकृत-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, वाराणसी।
- श्री विजय शंकर दीक्षित, से०नि० अवर अभियन्ता, ग्राम-औरांव, पोस्ट-बिन्दा, जिला-वाराणसी।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

राम बहादुर

लेखाधिकारी (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 2458/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4823/11-12

दिनांक: 07.03.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
वाराणसी।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4552 दिनांक 25.11.2011
(ग) जन्मतिथि	:	30.06.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती कमला गुप्ता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	22.01.1957
- | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 30.06.2009 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 37400-67000 ग्रे०पे० 8700 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 37400-67000 ग्रे०पे० 8700 |
| (घ) वेतन | : | 48650 /- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 24325 /- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 9730 /- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 14595 /- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | 24325 /- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 14595 /- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 66 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	12
(ख) निर्धारित वेतन	:	126800 /-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	63400 /-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	61550 /-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	63400 /-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	9730 /-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	53670 /-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	63400 /-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	38040 /-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी, पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2458/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4823/11-12 दिनांक: 07.03.19

प्रतिस्तिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-सिगरा वाराणसी।
- श्री विनोद कुमार गुप्ता, से०नि० अवर अभियन्ता, सी-32/27-17ए विद्या बिहार छिन्तपुर चन्दुआ सिगरा, वाराणसी।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 2368/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/31/93-94(टी०सी०)

दिनांक: 05.03.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

मुजफ्फरनगर।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती विमला देवी पत्नी स्व० मदन लाल, सेवानिवृत्त मुख्य सहायक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती विमला देवी पत्नी स्व० मदन लाल, सेवानिवृत्त मुख्य सहायक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	26 दिनांक 24.01.1994
(ग) जन्मतिथि	:	15.04.1935
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती विमला देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.04.1993/10.10.2014
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	1650-2690
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रेड पे 4200
(घ) वेतन	:	2690/-
(ङ) मूल पेंशन	:	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	598/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	लागू नहीं

3. दिनांक 01.01.2016 को पश्चिमेय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	6(ए)
(ख) निर्धारित वेतन	:	55600/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लागू हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	16680/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 2368/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/31/93-94 दिनांक: 05.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मुजफ्फरनगर।

3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परिक्षण खण्ड, मुजफ्फरनगर।

4. श्रीमती विमला देवी पत्नी स्व० मदन लाल, से०नि० अवर अभियन्ता, 554 उत्तरी सिविल लाइन मुजफ्फरनगर।

5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

पंजीकृत-

राम चन्द्र

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 2477 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 1036 / 02-03

दिनांक: 07.03.2019

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री हरिहर सिंह, सेवानिवृत्त कम्प्यूटर की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री हरिहर सिंह, सेवानिवृत्त कम्प्यूटर की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1054 दिनांक 14.01.2003
(ग) जन्मतिथि	:	25.07.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती जड़ावती देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	8550-13500
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 5400/-
(घ) वेतन	:	11025/-
(ङ) मूल पेंशन	:	5200/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2080/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3120/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3120/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	67200/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	33600/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	33600/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2080/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	31520/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	20160/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2477 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 1036 / 02-03 दिनांक: 07.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, वाराणसी।
3. श्री हरिहर सिंह, से०नि० संगणक, निवासी- 4 जी०-15, ओबरा, सोनभद्र।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1966/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1768/04-05

दिनांक: 21.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
बिजनौर।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्रीमती सुमन वर्मा पत्नी स्व० श्री देवेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्रीमती सुमन वर्मा पत्नी स्व० श्री देवेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1848 दिनांक 25.06.2004
(ग) जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सुमन वर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	04.03.1946
2. (क) मृत्यु तिथि	:	31.03.2004/12.09.2014
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	10650-15200
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	15600-39100 ग्रे०पे० 6600/-
(घ) वेतन	:	11950/-
(ङ) मूल पेंशन	:	5432/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2172/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3260/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3585/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	-

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	11
(ख) निर्धारित वेतन	:	76200/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	22860/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1966/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1768/04-05
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 21.02.2019

पंजीकृत-
पंजीकृत-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, धामपुर बिजनौर।
- श्रीमती सुमन वर्मा पत्नी स्व० श्री देवेन्द्र सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-प्लॉट नं० 502/ई०, छठा तल सैफन स्कॉटिश गार्डन अहींसा खण्ड-द्वितीय, इन्दिरापुरम गाजियाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

आज्ञाकारी मुद्रा अभियन्ता (हाइडिल)

(हस्ताक्षर)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1973/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2655/06-07

दिनांक: 21.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
झांसी।

विषय:— कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र जैन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र जैन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	2920 दिनांक 11.08.2006
(ग) जन्मतिथि	:	20.06.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती मालती जैन
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	11.09.1954
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.06.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	8550-13500
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रेड पे 5400
(घ) वेतन	:	11575/-
(ङ) मूल पेंशन	:	8250/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3300/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4950/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4950/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० — दिनांक — द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	71300/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	35650/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	35650/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3300/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	32350/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	21390/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1973/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2655/06-07 दिनांक: 21.02.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. उप मुख्य लेखाधिकारी, विद्युत भुगतान एवं लेखा खण्ड, पारीछा, झांसी।
3. श्री सुरेश चन्द्र जैन, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-शान्ती सर्विस सेन्टर के पीछे, हसारी, झांसी।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1976/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6315/15-16

दिनांक: 21.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
रायबरेली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5364 दिनांक 02.06.2015
(ग) जन्मतिथि	:	20.06.1953
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती विजय लक्ष्मी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.06.2013
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	33770/-
(ङ) मूल पेंशन	:	16885/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6754/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	10131/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	16885/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	10131/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	87700/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	43850/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	43850/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6754/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	37096/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	43850/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	26310/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1976/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6315/15-16 दिनांक: 21.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, रायबरेली।

3. श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-अवधपुरी, खण्ड-02, गोमती नगर, विस्तार लखनऊ।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

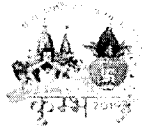
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1978/मु0अमि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2540/06-07

दिनांक: 21.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
सीतापुर।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री नसीरुद्दीन अन्सारी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री नसीरुद्दीन अन्सारी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2766 दिनांक 16.05.2006
(ग) जन्मतिथि	:	15.07.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती ताहिरा बेगम
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	9566/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3826/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	5740/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	5963/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	64 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	67442/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	67442/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3826/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	63616/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1978/मु0अमि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2540/06-07 दिनांक: 21.02.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, सीतापुर।
3. श्री नसीरुद्दीन अन्सारी, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-786, पक्काबाग, पुराना, सीतापुर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1967/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4375/09-10

दिनांक: 21.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मुआदाबाद।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त तकनीकी सहायक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त तकनीकी सहायक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3986 दिनांक 22.09.2009
(ग) जन्मतिथि	:	12.06.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती शकुन्तला शर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	01.06.1958
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.06.2009
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	9300-34800 ग्रे०पे० 5400/-
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 5400/-
(घ) वेतन	:	31120/-
(ङ) मूल पेंशन	:	14165/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	5666/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	8499/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	14165/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	8499/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	80200/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	40100/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	40100/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	5666/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	34434/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	24060/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1967/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4375/09-10
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 21.02.2019

पंजीकृत-
पंजीकृत-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुआदाबाद।
3. श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, से०नि० तकनीकी सहायक, मीरपुर गिलन बिहार मुआदाबाद।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 2112/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6849/92-93

दिनांक: 25.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

(स्व0 धर्म दीपक सिंह की पेंशन दिनांक 01.10.2017 तक के बकाये के भुगतान हेतु)

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री संजय सिंह पुत्र स्व0 धर्म दीपक सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य सहायक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री संजय सिंह पुत्र स्व0 धर्म दीपक सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य सहायक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	8944 दिनांक 24.07.1992
(ग) जन्मतिथि	:	20.02.1934
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	24.12.2012 मृत्यु
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
- | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| (क) मृत्यु तिथि | : | 29.02.1992/01.10.2017 मृत्यु तिथि |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 1650-2690 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 9300-34800 ग्रेडपे0 4200 |
| (घ) वेतन | : | 2465/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 1392/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | लागू नहीं |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | लागू नहीं |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | लागू नहीं |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	06 ए
(ख) निर्धारित वेतन	:	52400/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	26200/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	18400/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	26200/- दि० 01.10.2017 तक
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	26200/- दि० 01.10.17 तक
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	लागू नहीं
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	5240/- दि० 01.10.2017 तक
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2112/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6849/92-93
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 25.02.19

✓ 1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, लखनऊ।

3. श्री संजय सिंह पुत्र स्व० धर्म दीपक सिंह, से०नि० मुख्य सहायक, निवासी-97, लक्ष्मणपुरी कालोनी, पी०ओ० इन्दिरा नगर, लखनऊ।।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 2365/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/771/02-03

दिनांक: 05.03.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,

अलीगढ़।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री राजपाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री राजपाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	800 दिनांक 21.05.2002
(ग) जन्मतिथि	:	01.03.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती मुन्नी देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	28.02.2001
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	10650-15200
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	15600-39100 ग्रेड पे 6600
(घ) वेतन	:	12925/-
(ङ) मूल पेंशन	:	4439/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	1775/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	2664/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	2813/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	64 छमाही

2. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	11
(ख) निर्धारित वेतन	:	80900/-

3. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	40450/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	39225/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	33850/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	39225/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	1775/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	37450/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	24270/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

4. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 2365/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/771/102-03 दिनांक: 05.03.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, अलीगढ़।

3. श्री राजपाल सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ग्राम- नगला गर्वी पो०- जर्गवाँ, जिला- बुलन्दशहर।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम दत्त

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1758 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 1626 / 03-04

दिनांक: 15.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
फतेहगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री महेन्द्रपाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री महेन्द्रपाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1790 दिनांक 18.05.2004
(ग) जन्मतिथि	:	01.01.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	अकित नही
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अकित नही
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.12.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-20000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	19550/-
(ङ) मूल पेंशन	:	5828/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2331/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3497/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नही
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	लागू नही
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	63 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	66389/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	66389/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2331/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	64058/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नही
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नही

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1758 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 1626 / 03-04 दिनांक: 15.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, फर्रुखाबाद।
3. श्री महेन्द्रपाल सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-गेकपुर चौरासी सिटी पब्लिक स्कूल के पास, फतेहगढ़।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1454/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/604/97-98

दिनांक: 06.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
बुलन्दशहर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	694 दिनांक 24.01.1998
(ग) जन्मतिथि	:	25.03.1938
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती शारदा शर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.03.1996
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	8550-13500
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 5400
(घ) वेतन	:	9650/-
(ङ) मूल पेंशन	:	1431/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	477/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	954/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	581/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	62 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	61500/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	30750/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	28887/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	28887/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	28887/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	18450/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	5777/- दिनांक 24.03.2018 से

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1454/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/604/97-98 दिनांक: 06.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बुलन्दशहर।
- श्री सुरेश चन्द्र शर्मा, सं०नि० अवर अभियन्ता, के०-प्रथम-14 कविनगर गाजियाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

रम बहादुर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1321/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1321/03-04

दिनांक: 13.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री ओम सरन सक्सेना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री ओम सरन सक्सेना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1413 दिनांक 03.09.2003
(ग) जन्मतिथि	:	08.05.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सुशीला देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.05.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे० 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	7600/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3040/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4560/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4560/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को पश्चिमीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लागू हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3040/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1648/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1321/03-04 दिनांक: 13.02.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, शिकन्दरा, आगरा।
3. श्री ओम सरन सक्सेना, से०अ० अवर अभियन्ता, निवासी 18, लक्ष्मण नगर, तैरिया, गोडपास, आगरा।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1647 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 1615 / 03-04

दिनांक: 13.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1683 दिनांक 18.03.2004
(ग) जन्मतिथि	:	21.11.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती साधना गुप्ता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त / मृत्यु तिथि	:	30.11.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान / वेतन बैंड (ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ) वेतन	:	20000 / --
(ङ) मूल पेंशन	:	6867 / --
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2746 / --
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4121 / --
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4365 / --
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	63 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को पश्चिमीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100 / --

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार (50%)	:	69550 / --
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	66389 / --
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550 / --
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लागू प्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	66389 / --
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2746 / --

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	63643 / --
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730 / --
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन / पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित / संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1647 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 1615 / 03-04 दिनांक: 13.02.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, सिकन्दरा, आगरा।
3. श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी से०-05, आवास विकास कालोनी, सिकन्दरा, आगरा।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

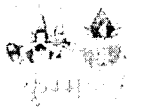
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1672/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/596/2000-01

दिनांक: 13.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
आगरा।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती मंजू माथुर पत्नी स्व० बी०पी० माथुर, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती मंजू माथुर पत्नी स्व० बी०पी० माथुर, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	624 दिनांक 03.12.2001
(ग) जन्मतिथि	:	12.01.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती मंजू माथुर
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	12.04.1954
(क) मृत्यु तिथि	:	03.04.1998
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेडपे 8900
(घ) वेतन	:	18200/-
(ङ) मूल पेंशन	:	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3683/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	लागू नहीं

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निधारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1672/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/596/2000-01

दिनांक: 13.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, सिकन्दरा आगरा।
3. श्रीमती मंजू माथुर पत्नी स्व० बी०पी० माथुर, अवर अभियन्ता, निवासी बी-09, ट्रांसयमुना कालोनी, आगरा।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1646/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1504/03-04

दिनांक: 13.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री नन्द किशोर सक्सेना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री नन्द किशोर सक्सेना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है:-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1564 दिनांक 20.12.2003
(ग) जन्मतिथि	:	01.10.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती राधा सक्सेना
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.09.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	7150/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2860/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4290/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4463/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	64 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	67443/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	67443/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2860/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	64583/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रतर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1646/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/340/2000-01 दिनांक: 13.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, आगरा।
3. श्री नन्द किशोर सक्सेना, सं०गि० अवर अभियन्ता, निवासी 51, विनय नगर, बोदला रोड, आगरा।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1409/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2921/06-07

दिनांक: 05.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,
रायबरेली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राम करन यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राम करन यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3160 दिनांक 03.02.2007
(ग) जन्मतिथि	:	01.07.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती छांगुरी देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.06.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37600-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	10370/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	4148/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	6222/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	6255/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	4148/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	65402/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1409/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2921/06-07 दिनांक: 05.02.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, रायबरेली।
3. श्री राम करन यादव, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-2842, नेहरू नगर, रायबरेली।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1385/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/50/99-2000

दिनांक: 04.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
रायबरेली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री भैरो प्रसाद श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री भैरो प्रसाद श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	64 दिनांक 29.03.2000
(ग) जन्मतिथि	:	07.07.1940
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती प्रकाशिनी श्रीवास्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.1998
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	10650-15200
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	15600-39100 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	10975/-
(ङ) मूल पेंशन	:	4059/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	1623/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	2436/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3293/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	50 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	11
(ख) निर्धारित वेतन	:	69700/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	34850/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	26402/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	33850/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	33850/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	1623/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	32227/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	20910/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1385/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/50/99-2000

दिनांक: 04.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, रायबरेली।
3. श्री भैरो प्रसाद श्रीवास्तव, से०नि० अवर अभियन्ता, एल-62, इन्दिरा नगर, आर०डी०ए० कालोनी रायबरेली।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1382/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6386/15-16

दिनांक: 04.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
रायबरेली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री राम राज सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री राम राज सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5454 दिनांक 14.09.2015
(ग) जन्मतिथि	:	25.05.1955
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती अनुसुइया देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
- | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.05.2015 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 6600 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 6600 |
| (घ) वेतन | : | 35170/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 17585/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 7034/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 10551/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | 17585/- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 10551/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 66 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	93000/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	46500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	46500/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	7034/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	39466/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	46500/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	27900/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1382/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6386/15-16

दिनांक: 04.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, रायबरेली।
- श्री राम राज सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, 827/17, कैलाशपुरी कानपुर रोड रायबरेली।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1459/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4969/12-13

दिनांक: 07.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
रायबरेली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राम सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राम सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4695 दिनांक 28.07.2012
(ग) जन्मतिथि	:	03.04.1950
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	—
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	—
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.04.2010
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	9300-34800 ग्रे०पे० 5400
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 5400
(घ) वेतन	:	26880/-
(ङ) मूल पेंशन	:	13440/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	5376/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	8064/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	—
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	—
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० — दिनांक — द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	69200/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	34600/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	34600/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	5376/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	29224/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	—
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	—
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1459/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4969/12-13 दिनांक: 07.02.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम रायबरेली।
3. श्री राम सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, एम०आई०जी० 4/4 प्रगतिपुरम कालोनी रायबरेली।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत—
पंजीकृत—

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1277/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2825/06-07

दिनांक: 01.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री सन्तोष कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त संगणक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री सन्तोष कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त संगणक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3048 दिनांक 14.11.2006
(ग) जन्मतिथि	:	01.08.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती मंजू श्रीवास्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2006
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	9300-34800 ग्रे०पे० 5400
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 5400
(घ) वेतन	:	27740/-
(ङ) मूल पेंशन	:	8250/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3300/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4950/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4950/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	71300/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	35650/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	35650/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3300/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	32350/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	21390/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1277/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2825/06-07 दिनांक: 01.02.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- मुख्य महाप्रबन्धक, ओबरा तापीय विद्युत परियोजना, ओबरा सोनभद्र को सेवापुरितका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गोरखपुर।
- श्री सन्तोष कुमार श्रीवास्तव, से०नि० संगणक, निवासी-ग्रा० व पो०-सुहली, वाया बाकार गंज, सिवान, बिहार।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1270/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4396/09-10

दिनांक: 31.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री राजेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री राजेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	4050 दिनांक 05.12.2009
(ग) जन्मतिथि	:	01.07.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती रम्मा देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	01.01.1951
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.06.2009
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	37400-67000 ग्रे0पे0 8900
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे0पे0 8900
(घ) वेतन	:	52830/-
(ङ) मूल पेंशन	:	24325/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	9730/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	14595/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बड़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	14595/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	9730/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	59820/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बड़ी हुई दर पर)	:	69550/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1270/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4396/09-10 दिनांक: 31.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गोरखपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण एवं परिचालन खण्ड, गोरखपुर, को सेवापुस्तिका मूलरूप से सलन कर प्रेषित।
4. श्री राजेन्द्र सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ग्राम-रामू घाट, पो०-भबईपार, जिला-गोरखपुर।
5. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1298 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4844 / 11-12

दिनांक: 01.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
कसभा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री महन्त प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री महन्त प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4593 दिनांक 15.02.2012
(ग) जन्मतिथि	:	28.01.1951
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती निवारी देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	01.07.1954
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.1.2011
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	9300-34800 ग्रे०पे० 5400
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 5400
(घ) वेतन	:	29470/-
(ङ) मूल पेंशन	:	14735/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	5894/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	8841/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	14735
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	8841/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	77900/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	38950/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	38950/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	5894/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	33056/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	38950/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	23370/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1298 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4844 / 11-12 दिनांक: 01.02.19
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता, विद्युत 400 के०वी० उपकेन्द्र उपकेन्द्र खण्ड, गोरखपुर को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०, कसभा।
4. श्री महेंद्र प्रसाद, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी- ग्राम-जिगनी, पो०-हेतिमपुर, जिला- देवरिया।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 971/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6597/16-17

दिनांक: 24.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गोरखपुर।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री कृष्ण मोहन शुक्ला, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री कृष्ण मोहन शुक्ला, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5653 दिनांक 22.07.2016 ✓
(ग) जन्मतिथि	:	25.10.1944 ✓
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती देवकन्या शुक्ला ✓
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं ✓
- | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.10.2002 ✓ |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 16400-20000 ✓ |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) | : | 37400-67000 ग्रे०पे० 8900 ✓ |
| (घ) वेतन | : | 20000/- ✓ |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 7600/- ✓ |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | लागू नहीं ✓ |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 7600/- ✓ |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | 7600/- ✓ |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 4560/- ✓ |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 66 छमाही ✓ |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13 ✓
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/- ✓
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/- ✓
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं ✓
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/- ✓
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/- ✓
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं ✓
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	69550/- ✓
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं ✓
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/- ✓
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं ✓
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 971/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6597/16-17 दिनांक: 24.01.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गोरखपुर
- श्री कृष्ण मोहन शुक्ला, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-मुहब्बा बेतिया हाता, प० हरिप्रसाद दूबे मार्ग, गोरखपुर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1430/मु0अमि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/434/96-97

दिनांक: 05.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गोरखपुर।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री सूरज नारायण दूबे, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सूरज नारायण दूबे, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पीपीओओ संख्या एवं दिनांक	:	525 दिनांक 26.11.1996
(ग) जन्मतिथि	:	01.07.1937
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती विमला दूबे
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.06.1995
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	3400-4750
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	15600-39100 ग्रेडपे 6600
(घ) वेतन	:	4375/-
(ङ) मूल पेंशन	:	2445/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	815/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	1630/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	734/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	11
(ख) निर्धारित वेतन	:	80900/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	40450/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	33850/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	40450/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	40450/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	24270/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1430/मु0अमि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/434/96-97 दिनांक: 05.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गोरखपुर।
3. श्री सूरज नारायण दूबे, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-मु०-शिवपुर रोड, शिव मन्दिर के पीछे, गोरख नगर, शिवपुररोड, सिधानिया, कूडाघाट गोरखपुर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1118/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/859/02-03

दिनांक: 29.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
बरेली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री मुनीश्वर दयाल सक्सेना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री मुनीश्वर दयाल सक्सेना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	904 दिनांक 27.07.2002
(ग) जन्मतिथि	:	20.01.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती गायत्री सक्सेना
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.01.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900/-
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	6269/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2507/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3762/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3878/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	65 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	68496/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	68496/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2507/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	65989/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1118/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/859/02-03 दिनांक: 29.01.19
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम बरेली।
3. श्री मुनीश्वर दयाल सक्सेना, से०नि० अवर अभियन्ता, ग्राम व पोस्ट-सैदपुर, जिला-बदायूँ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1478/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/907/99-2000

दिनांक: 07.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
रायबरेली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री सन्त प्रसाद श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री सन्त प्रसाद श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	1023 दिनांक 01.12.1999
(ग) जन्मतिथि	:	13.07.1939
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	लागू नहीं
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	लागू नहीं
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.1997
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	8550-13500
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रेडपे0 5400
(घ) वेतन	:	10200/-
(ङ) मूल पेंशन	:	5059/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2023/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3036/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	लागू नहीं
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	63300/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	31650/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	31650/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	31650/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	18990/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1478/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/907/99-2000 दिनांक: 07.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम रायबरेली।
3. श्री सन्त प्रसाद श्रीवास्तव, से०नि० अवर अभियन्ता, म०न० 171(क) मोहददीन पुर रोड हरी लक्ष्मी ट्रेडर्स के सामने, जेल रोड, आचार्य द्विवेदी नगर, पो०-मटीहा, जिला-रायबरेली।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम कुमार

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कारपोरेशन लि० (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छाठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1673/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/704/01-02

दिनांक: 13.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,

आगरा।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री रमेश चन्द्र वर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री रमेश चन्द्र वर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	727 दिनांक 11.03.2002
(ग) जन्मतिथि	:	17.09.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती शिवानी वर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	19.06.1950
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.09.2001
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400- 20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400- 67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	20000 / --
(ङ) मूल पेंशन	:	7210 / --
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2884 / --
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4326 / --
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4326 / --
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेंमैटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100 / --

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550 / --
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550 / --
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550 / --
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2884 / --
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिखा जाये	:	66666 / --
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730 / --
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

दिनांक: 13.02.2019

संख्या: 1673/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/704/01-02
प्रतिष्ठित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

पंजीकृत-
पंजीकृत-

- अधिशाली अभियन्ता, देब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, सिकन्दर, आगरा।
- श्री रमेश चन्द्र वर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-36, शास्ता कुंज कमला नगर, आगरा।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

राम बहादुर

लेखाधिकारी (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छाठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1932/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5293/08-09

दिनांक: 20.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,
बरेली।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती उर्मिला अरोरा पत्नी स्व० जगदीश प्रसाद अरोरा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती उर्मिला अरोरा पत्नी स्व० जगदीश प्रसाद अरोरा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है:-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3892 दिनांक 20.02.2009
(ग) जन्मतिथि	:	04.02.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती उर्मिला अरोरा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	25.08.1947
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	29.02.2004 / 20.12.2018
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400 20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400 67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	6468/-
(व) पेंशन का राशिकृत माग	:	2587/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3881/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नही
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4170/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	62 छा माही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० --- दिनांक --- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-		
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	65335/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/- दिनांक 20.12.2018 तक
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2587/- दिनांक 20.12.2018 तक

(व) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रतर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1932/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4293/08-09 दिनांक: 20.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, देव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, बरेली।
3. श्रीमती उर्मिला अरोरा पत्नी स्व० जगदीश प्रसाद अरोरा, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी की 22/3, राजेन्द्र नगर, इण्डजतनगर, बरेली।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत
पंजीकृत

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1467/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4690/10-11

दिनांक: 07.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
बरेली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री प्रवीन चन्द्र वर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री प्रवीन चन्द्र वर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4310 दिनांक 15.02.2011
(ग) जन्मतिथि	:	08.07.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती मिथेलश वर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
- | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.07.2009 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 37400-67000 ग्रे०पे० 8900 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 37400-67000 ग्रे०पे० 8900 |
| (घ) वेतन | : | 58870/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 25055/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 10022/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 15033/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | 25055/- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 15033/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 40 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	152000/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	76000/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	76000/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	10022/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	65978/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	76000/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	45600/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1467/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4690/10-11 दिनांक: 07.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब. उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम बरेली।
- श्री प्रवीन चन्द्र वर्मा, सं०नि० अवर अभियन्ता, एम-10 प्रेम नगर, बरेली।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

मुख्य कोषाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1871 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6804 / 17-18

दिनांक: 18.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मुरादाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री गोविन्द राम, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री गोविन्द राम, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5875 दिनांक 21.07.2017
(ग) जन्मतिथि	:	11.12.1955
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	-
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	-
- | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त / मृत्यु तिथि | : | 31.12.2015 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 15600-39100 ग्रे०पे० 6600 |
| (ग) वेतनमान / वेतन बैंड (ग्रेड पे) | : | 15600-39100 ग्रे०पे० 6600 |
| (घ) वेतन | : | 27580 / - |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 13790 / - |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 5516 / - |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 8274 / - |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | लागू नहीं / - |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 40 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	11
(ख) निर्धारित वेतन	:	71800 / -
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार (50%)	:	35900 / -
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	33850 / -
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	35900 / -
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	5516 / -
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	30384 / -
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	35900 / -
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	लागू नहीं / -
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन / पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित / संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1871 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6804 / 17-18 दिनांक: 18.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुरादाबाद।
- श्री गोविन्द राम, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-म०न०-सी०-2/21, आशियाना फेस-2, कॉठ रोड, मुरादाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)
लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1888/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2990/07-08

दिनांक: 18.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मुंरादाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राम गोपाल गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राम गोपाल गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3246 दिनांक 25.05.2007
(ग) जन्मतिथि	:	01.07.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	अंकित नही
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नही
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.06.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	पंचम वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 5400
(घ) वेतन	:	11575/-
(ङ) मूल पेंशन	:	8239/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3295/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4944/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नही
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	लागू नही
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	71300/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	35650/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नही
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	35650/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3295/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	32355/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नही
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	लागू नही
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नही

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1888/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2990/07-08 दिनांक: 18.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुंरादाबाद।
3. श्री राम गोपाल गुप्ता, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-2/297, बुद्ध विहार, मुंरादाबाद।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1624/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/664/98-99

दिनांक: 12.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मथुरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्रीमती प्रेमवती पत्नी स्व० बांके बिहारी गुप्ता, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्रीमती प्रेमवती पत्नी स्व० बांके बिहारी गुप्ता, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	756 दिनांक 06.05.1998
(ग) जन्मतिथि	:	-
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती प्रेमवती
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	12.08.1947
(क) मृत्यु तिथि	:	15.05.1997
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	17750/-
(ङ) मूल पेंशन	:	-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	754/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	-

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1624/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/664/98-99

दिनांक: 12.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मथुरा।

3. श्रीमती प्रेमवती पत्नी स्व० बांके बिहारी गुप्ता, अवर अभियन्ता, म०न० 136 दलपत खिड़की कोयला गली मथुरा।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

राम बहादुर

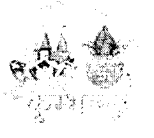
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1477/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5011/12-13

दिनांक: 07.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मथुरा।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री योगेन्द्र कुमार, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री योगेन्द्र कुमार, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	4735 दिनांक 14.09.2012
(ग) जन्मतिथि	:	24.07.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती इन्द्रजा कुमारी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	05.11.1958
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2009
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	37400-67000 ग्रे0पे0 8900
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे0पे0 8900
(घ) वेतन	:	54420/-
(ङ) मूल पेंशन	:	14015/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	5606/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	8409/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	8409/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	143300/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	71650/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	71650/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	5606/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	66044/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	42990/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1477/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5011/12-13 दिनांक: 07.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, मथुरा।

3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय, मथुरा को सेवापुस्तिका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।

4. श्री योगेन्द्र कुमार, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-एफ०-211, गोविन्द नगर, निकट, श्री, कृष्ण जन्म भूमि, मथुरा।

5. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1316/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/०५ टी०सी०/९३-९४

दिनांक: 02.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मुरादाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री श्याम स्वरूप चतुर्वेदी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री श्याम स्वरूप चतुर्वेदी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	24 दिनांक 20.01.1994
(ग) जन्मतिथि	:	06.06.1935
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती शैलरानी चतुर्वेदी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.06.1993
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	3400-4750
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	15600-39100 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	4125/-
(ङ) मूल पेंशन	:	2239/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	746/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	1493/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	693/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	64 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	11
(ख) निर्धारित वेतन	:	76200/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	38100/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	33850/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	38100/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	38100/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	लागू नहीं
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	22860/-
(ण) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1316/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/०५ टी०सी०/९३-९४
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 02.02.19

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुरादाबाद।
3. श्री श्याम स्वरूप चतुर्वेदी, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-मनोरमा स्कूल के पास, लाइन पार कृष्णापुरी, मुरादाबाद।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1199/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1912/04-05

दिनांक: 30.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
वाराणसी।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री अलख नरायन सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री अलख नरायन सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5132 दिनांक 16.06.2014
(ग) जन्मतिथि	:	15.07.1942
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती नयन कुमारी सिंह
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
- | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.07.2000 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 10650-15200 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 15600-39100 ग्रे०पे० 6600 |
| (घ) वेतन | : | 10975/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 5455/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 2162/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 3273/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 3293/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 66 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	11
(ख) निर्धारित वेतन	:	69700/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	34850/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	33850/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	34850/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2162/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	32688/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	20910/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1199/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1912/04-05 दिनांक: 30.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, वाराणसी।
- श्री अलख नरायन सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-सी०-20/11-66, रमाकान्त कालोनी, वाराणसी।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

30.01.19



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1050/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2994/07-08

दिनांक: 28.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

प्रयागराज।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती मालती ओझा पत्नी स्व० भास्कर प्रसाद ओझा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती मालती ओझा पत्नी स्व० भास्कर प्रसाद ओझा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3260 दिनांक 05.06.2007
(ग) जन्मतिथि	:	03.07.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती मालती ओझा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) मृत्यु तिथि	:	31.07.2005 / 10.06.2008
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	16400-20000
(घ) वेतन	:	17750/-
(ङ) मूल पेंशन	:	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	7988/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	64 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1050/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2994/07-08

दिनांक: 28.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. मुख्य महाप्रबन्धक (विविध-अनुभाग), अनपरा तापीय परियोजना, अनपरा, सोनभद्र।

3. उप मुख्य लेखाधिकारी, विद्युत भुगतान एवं लेखा खण्ड, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, अनपरा।

4. श्रीमती मालती ओझा पत्नी स्व० भास्कर प्रसाद ओझा, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-20, सरायतकी, हतनाग रोड, झूसी, प्रयागराज।

5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

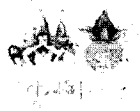
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1569/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4792/11-12

दिनांक: 08.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
प्रयागराज।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र प्रसाद शुक्ला, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र प्रसाद शुक्ला, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पीपी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	4524 दिनांक 23.09.2011
(ग) जन्मतिथि	:	02.07.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती प्रेमलता शुक्ला
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	22.08.1948
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे0 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	11254/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	11254/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	6840/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	69550/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1569/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4792/11-12 दिनांक: 08.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जनपद खण्ड (वितरण), प्रयागराज को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, प्रयागराज।
4. श्री सुरेन्द्र प्रसाद शुक्ला, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-45/61, बलरामपुर हाऊस, प्रयागराज।
5. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1449/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/824/99-2000

दिनांक: 06.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मेरठ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री प्रान नाथ अरोरा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री प्रान नाथ अरोरा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	918 दिनांक 17.07.1999
(ग) जन्मतिथि	:	26.02.1941
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती विनय प्रभा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	12.12.1948
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	28.02.1999
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ) वेतन	:	18650/-
(ङ) मूल पेंशन	:	6950/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2780/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4170/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4170/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्ता क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	67500/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2975/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	64528/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1449/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/424/99-2000 दिनांक: 06.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मेरठ।
3. श्री प्रान नाथ अरोरा, सं०नि० अवर अभियन्ता, 1071, सेक्टर-3 शास्त्री नगर मेरठ।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

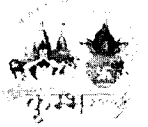
लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

लखनऊ, 06.02.2019



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1591/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2311/05-06

दिनांक: 11.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मेरठ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री धन प्रकाश अग्रवाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री धन प्रकाश अग्रवाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2595 दिनांक 31.12.2005
(ग) जन्मतिथि	:	01.07.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती उषा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.06.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	8550-135000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे० पे० 5400
(घ) वेतन	:	11575/-
(ङ) मूल पेंशन	:	5500/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2200/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3300/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3300/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	71300/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	35650/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	35650/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2200/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	33450/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	लागू नहीं
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	21390/-
(ण) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1591/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2311/05-06 दिनांक: 11.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मेरठ।
3. श्री धन प्रकाश अग्रवाल, से०नि० अवर अभियन्ता, निवारी-48, दुर्गा नगर, कैलाश पुरी, मेरठ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1461/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4313/09-10

दिनांक: 07.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मेरठ।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री कमलेश बालूजा, सेवानिवृत्त कार्यालय सहायक-द्वितीय की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री कमलेश बालूजा, सेवानिवृत्त कार्यालय सहायक-द्वितीय की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3918 दिनांक 24.04.2009
(ग) जन्मतिथि	:	12.02.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	लागू नहीं
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	लागू नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	28.02.2009
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	8550-13500
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	15600-39100 ग्रे०पे० 5400
(घ) वेतन	:	24970/-
(ङ) मूल पेंशन	:	5540/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2216/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3324/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	लागू नहीं
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	38 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	10
(ख) निर्धारित वेतन	:	65000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	32500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	30875/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	28050/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	30875/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2216/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	28659/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	लागू नहीं
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1461/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4313/09-10 दिनांक: 07.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम मेरठ।
- श्री कमलेश बालूजा, से०नि० कार्यालय सहायक-द्वितीय, 177-प्रथम बाग्वे बजार, मेरठ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

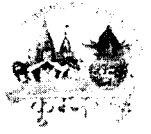
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1463/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6697/16-17

दिनांक: 07.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राजा राम गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राजा राम गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पीपीओ संख्या एवं दिनांक	:	5782 दिनांक 21.03.2017
(ग) जन्मतिथि	:	16.04.1954
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्री सुमित्रा गुप्ता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	10.10.1957
- | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 30.04.2014 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 37400-67000 ग्रेड पे 8900 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) | : | 37400-67000 ग्रेड पे 8900 |
| (घ) वेतन | : | 69980/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 34990/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 13996/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 20994/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | 34990/- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 20994/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 40 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० --- दिनांक --- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	181500/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	90750/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	90750/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	13996/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	76754/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	90750/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	54450/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1463/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6697/16-17 दिनांक: 07.02.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम वाराणसी।
- श्री राजा राम गुप्ता, से०नि० अवर अभियन्ता, ग्राम व पोस्ट-सुखलालगंज, जिला-जौनपुर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1587 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4164 / 07-08

दिनांक: 11.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री जगदीश प्रताप सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री जगदीश प्रताप सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3555 दिनांक 26.05.2008
(ग) जन्मतिथि	:	23.01.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सुशीला सिंह
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.01.2006
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	55210 /-
(ङ) मूल पेंशन	:	9708 /--
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3883 /--
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	5825 /--
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	6109 /-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	143300 /-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	71650 /-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550 /-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लागू हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	71650 /-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3883 /-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	67767 /-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	42990 /-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1587 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4164 / 07-08 दिनांक: 11.02.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, वाराणसी।
3. श्री जगदीश प्रताप सिंह, से०लि० अवर अभियन्ता, एस-8/314-ए-18 ए-2 खजुरी गोला पाण्डेयपुर, वाराणसी।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर
लेखाधिकारी (पेंशन)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1448/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6962/18-19

दिनांक: 06.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री मुन्नीलाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री मुन्नीलाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	6032 दिनांक 17.04.2018
(ग) जन्मतिथि	:	02.09.1955
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	अंकित नहीं
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.09.2015
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	9300-34800 ग्रे0पे0 6600
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे0पे0 6600
(घ) वेतन	:	30720/-
(ङ) मूल पेंशन	:	15360/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6144/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	9216/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	80200/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	40100/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	40100/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6144/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	33956/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	लागू नहीं
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1448/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6962/18-19

दिनांक: 06.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशायी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशायी अभियन्ता, विद्युत 400 के०वी० उपकेन्द्र खण्ड, पीलीपोखर, हाथरस रोड, आगरा को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- अधिशायी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम आगरा।
- श्री मुन्नीलाल, से०नि० अवर अभियन्ता, ग्राम-बछेपुरा, डा० जलेश्वर रोड, एटा, जिला-एटा।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

(हस्ताक्षर)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1315/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4208/08-09

दिनांक: 02.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मेरठ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री प्रभात कपूर, सेवानिवृत्त कार्यालय सहायक-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री प्रभात कपूर, सेवानिवृत्त कार्यालय सहायक-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3800 दिनांक 26.06.2008
(ग) जन्मतिथि	:	02.09.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती लता कपूर
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	26.12.1952
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.09.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	8550-13500
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	15600-39100 ग्रेड पे० 5400
(घ) वेतन	:	11575/-
(ङ) मूल पेंशन	:	7215/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2886/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4329/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4365/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	10
(ख) निर्धारित वेतन	:	71100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	35550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	28050/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	35550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2886/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	32664/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	लागू नहीं
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	21330/-
(ण) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1315/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4208/08-09
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 02.02.19

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मेरठ।

3. श्री प्रभात कपूर, से०नि० कार्यालय सहायक-प्रथम, निवासी-433/3, मंगलपाण्डेय नगर, सदभावना पार्क, मेरठ।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

राम लाल

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1105 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 1427 / 03-04

दिनांक: 29.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मेरठ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री विशम्बर सिंह गुगलानी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री विशम्बर सिंह गुगलानी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1513 दिनांक 15.11.2003
(ग) जन्मतिथि	:	17.07.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती किरन गुगलानी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त / मृत्यु तिथि	:	31.07.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान / वेतन बैंड (ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	6178/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2471/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3707/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	6178/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3975/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	62 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार (50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	65335/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2471/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	63079/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन / पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित / संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1105 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 1427 / 03-04 दिनांक: 29.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मेरठ।
3. श्री विशम्बर सिंह गुगलानी, सं०नि० अवर अभियन्ता, 330, देवपुरी, निकट मन्दिर मेरठ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1401/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4649/
मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मेरठ।

दिनांक: 05.02.2019

पंजीकृत

विषय:— कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री प्रेम चन्द्र, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री प्रेम चन्द्र, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :—

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4267 दिनांक 07.12.2010
(ग) जन्मतिथि	:	01.01.1950
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	दिवंगत
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.12.2009
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	9300-34800 ग्रे०पे० 5400
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 5400
(घ) वेतन	:	27460 /—
(ङ) मूल पेंशन	:	11995 /—
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	4798 /—
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	7197 /—
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	लागू नहीं
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० — दिनांक — द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:—

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	71300 /—

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:—

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	35650 /—
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550 /—
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	35650 /—
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	4798 /—
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	30850 /—
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	लागू नहीं
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आयुक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1401/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4649/
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

दिनांक: 05.02.2019

पंजीकृत—
पंजीकृत—

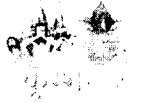
1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड—प्रथम, मेरठ।
4. श्री प्रेम चन्द्र, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-551/घ/182, नटखेडा, आलमबाग।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1665/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4324/09-10

दिनांक: 13.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र प्रसाद गोस्वामी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र प्रसाद गोस्वामी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3930 दिनांक 20.05.2009
(ग) जन्मतिथि	:	01.01.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती मुन्नी देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	22.03.1952
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.12.2008
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	58580/-
(ङ) मूल पेंशन	:	11805/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	4722/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	7083/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	7155/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० --- दिनांक --- द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	152000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	76000/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	76000/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	9730/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	66270/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	45600/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1665/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4324/09-10 दिनांक: 13.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अधिशासी अभियन्ता, देव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, शिकन्दरा, आगरा।
3. श्री राजेन्द्र प्रसाद गोस्वामी, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-42, कन्हैया कालोनी, हीरा बाग, दयालबाग, आगरा।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

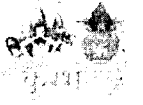
राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1666/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1170/03-04

दिनांक: 13.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,

आगरा।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री हरीशंकर वाष्णीय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री हरीशंकर वाष्णीय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्धता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1245 दिनांक 01.05.2003
(ग) जन्मतिथि	:	13.08.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती प्रभा वाष्णीय
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	15.06.1948
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.08.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	6171/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2468/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3703/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4073/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	60 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	63228/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2468/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	63082/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1666/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1170/03-04 दिनांक: 13.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, सिकन्दरा, आगरा।
3. श्री हरीशंकर वाष्णीय, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी एफ० 302, कमलानगर, आगरा।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर

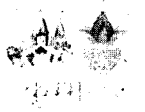
लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1663/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1543/03-04

दिनांक: 13.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

मेरठ।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्रीमती हेमलता पत्नी स्व० काछीमल गुप्ता, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्रीमती हेमलता पत्नी स्व० काछीमल गुप्ता, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1680 दिनांक 18.03.2004
(ग) जन्मतिथि	:	22.01.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती हेमलता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) मृत्यु तिथि	:	02.11.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे० 8900
(घ) वेतन	:	18650/-
(ङ) मूल पेंशन	:	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3683/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	लागू नहीं

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० --- दिनांक --- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1663/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1543/03-04

दिनांक: 13.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, मेरठ।
3. श्रीमती हेमलता पत्नी स्व० काछीमल गुप्ता, अवर अभियन्ता, निवासी 335, रो० 03, शास्त्री नगर, मेरठ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1756/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2173/04-05

दिनांक: 15.02.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र कुमार ग्रोवर, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र कुमार ग्रोवर, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2364 दिनांक 11.07.2005
(ग) जन्मतिथि	:	10.11.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती मीरा ग्रोवर
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	19.08.1949
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.11.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-20000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	7600/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3040/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4560/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4560/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	4560/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	64990/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1756/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2173/04-05 दिनांक: 15.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
3. श्री सुरेन्द्र कुमार ग्रोवर, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-110, चन्द्र नगर के पास आर्द समाज, मन्दिर आलम बाग, लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1207 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 1564 / 03-04

दिनांक: 30.01.19

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गाजियाबाद।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री राम कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री राम कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1670 दिनांक 11.03.2004
(ग) जन्मतिथि	:	13.07.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सरोज गुप्ता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	02.06.1951
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	7389/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2955/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4434/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4560/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	65 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	68497/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	68497/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2955/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	65542/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	69550/- लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1207 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 1564 / 03-04 दिनांक: 30.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड-प्रथम, गाजियाबाद को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गाजियाबाद।
4. श्री राम कुमार गुप्ता, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-एस०के०-98, शास्त्री नगर, गाजियाबाद।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर
लेखाधिकारी (पेंशन)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1557 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6856 / 17-18

दिनांक: 08.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
रामपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री अशोक कुमार सक्सेना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री अशोक कुमार सक्सेना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5929 दिनांक 30.10.2017
(ग) जन्मतिथि	:	02.08.1955
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती बीना सक्सेना
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त / मृत्यु तिथि	:	31.08.2015
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(ग) वेतनमान / वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	36920 / -
(ङ) मूल पेंशन	:	18460 / -
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	7384 / -
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	11076 / -
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	18460 / -
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	11076 / -
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	95800 / -

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	47900 / -
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550 / -
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	47900 / -
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	7384 / -
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	40516 / -
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	47900 / -
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	28740 / -
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन / पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित / संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1557 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6856 / 17-18 दिनांक: 08.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, देव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, रामपुर।
- श्री अशोक कुमार सक्सेना, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-शिवपुरम कालोनी, जिला-रामपुर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1549 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2571 / 06-07

दिनांक: 08.02.19

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
रामपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री अब्दुल मुनीम खाँ, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री अब्दुल मुनीम खाँ, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2820 दिनांक 16.06.2006
(ग) जन्मतिथि	:	17.10.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती यासमीन जहाँ
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त / मृत्यु तिथि	:	31.10.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	8550-13500
(ग) वेतनमान / वेतन बैंड (ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रेड पे 5400
(घ) वेतन	:	11850 / -
(ङ) मूल पेंशन	:	8250 / -
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3300 / -
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4950 / -
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4950 / -
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	71300 / -

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार (50%)	:	35650 / -
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550 / -
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	35650 / -
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3300 / -
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	32350 / -
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	21390 / -
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन / पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित / संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1549 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2571 / 06-07 दिनांक: 08.02.19

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, रामपुर।
3. श्री अब्दुल मुनीम खाँ, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-शाहबाद गेट, ईइगाह, रामपुर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम कर्मापुर
लेखाधिकारी (पेंशन)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1919/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2637/06-07

दिनांक: 20.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
कानपुर।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री हरिनाम सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री हरिनाम सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2829 दिनांक 23.06.2006
(ग) जन्मतिथि	:	04.01.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती ज्ञानवती सिंह
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	05.10.1951
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.01.2006
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	55210/-
(ङ) मूल पेंशन	:	10710/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	4284/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	6426/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	6840/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	143300/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	71650/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	71650/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6553/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	65097/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	42990/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1919/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2637/06-07 दिनांक: 20.02.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पनकी कानपुर।
- श्री हरिनाम सिंह, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-554/470 डी० छोटा बरहा, आलमबाग।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

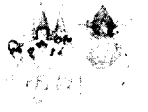
राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छाठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1670/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/103/2000-01

दिनांक: 13.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

कानपुर।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री सत्य देव प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सत्य देव प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	106 दिनांक 20.05.2000
(ग) जन्मतिथि	:	01.03.1942
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती शान्ती श्रीवारतव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	20.05.1945
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	29.02.2000
(ख) तत्कालीन लागू वेतनमान	:	16400 20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	19100/-
(ङ) मूल पेंशन	:	6014/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2405/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3609/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3780/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	63 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिकेन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	64432/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-

(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2405/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	63145/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रसार 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1670/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/103/2000-01 दिनांक: 13.02.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- अधिशारी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कानपुर।
- श्री सत्य देव प्रसाद, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-645ए/592, जानकी विहार कालोनी, 60एफ०टी० रोड, जानकी पुरम, लखनऊ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी (पेंशन) (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 2055/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4076/07-08

दिनांक: 25.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

गाजियाबाद।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री सतीश कुमार अग्रवाल सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री सतीश कुमार अग्रवाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3428 दिनांक 14.11.2007
(ग) जन्मतिथि	:	15.11.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	अंकित नहीं
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.11.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे० 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	9410/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3764/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	5646/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	लागू नहीं/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	लागू नहीं/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	61 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	12
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	64281/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3764/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	61786/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	लागू नहीं/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2055/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4076/07-08

दिनांक: 25.02.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड- प्रथम, गाजियाबाद।
- श्री सतीश कुमार अग्रवाल, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-म०न०- 121 बी०, प्रतिमा कालोनी बन्ना देवी, अलीगढ़ 202001।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

अवर अभियन्ता (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1558 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4628 / 10-11

दिनांक: 08.02.19

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गाजियाबाद।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री भगवत स्वरूप, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री भगवत स्वरूप, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4246 दिनांक 20.10.2010
(ग) जन्मतिथि	:	17.10.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती बीना सक्सेना
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.10.2009
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	62160/-
(ङ) मूल पेंशन	:	25055/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	10022/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	15033/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	25055/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	15033/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	161300/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	80650/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	80650/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	10022/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	70628/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	80650/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	48390/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रतर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1558 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4628 / 10-11 दिनांक: 08.02.19

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गाजियाबाद।

3. श्री भगवत स्वरूप, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ए-102, शालीमार गार्डन मैन सहिबाबाद, गाजियाबाद।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1357 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6432 / 15-16

दिनांक: 04.02.19

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गाजियाबाद।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री नरेश कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री नरेश कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5502 दिनांक 02.12.2015
(ग) जन्मतिथि	:	15.08.1953
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती नीरा शर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त / मृत्यु तिथि	:	31.08.2013
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(ग) वेतनमान / वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	34790 / -
(ङ) मूल पेंशन	:	17395 / -
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6958 / -
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	10437 / -
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	17395 / -
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	10437 / -
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	90300 / -

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	45150 / -
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550 / -
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	45150 / -
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6958 / -
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	38192 / -
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	45150 / -
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	27090 / -
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित / संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1357 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6432 / 15-16 दिनांक: 04.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशायी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशायी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, गाजियाबाद को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- अधिशायी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, गाजियाबाद।
- श्री नरेश कुमार शर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-आर०-11 / 110, राजनगर गाजियाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

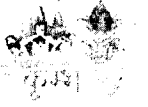
पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1641/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2814/06-07

दिनांक: 12.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री कृष्ण गोपाल वार्ष्णेय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री कृष्ण गोपाल वार्ष्णेय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	3034 दिनांक 06.11.2006
(ग) जन्मतिथि	:	05.09.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती मिथलेश वार्ष्णेय
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	10.09.1952
- | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 30.09.2004 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 16400-20000 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) | : | 37400-67000 ग्रेडपे 8900 |
| (घ) वेतन | : | 20000/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 10557/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 4222/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 6335/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 6694/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 64 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० --- दिनांक --- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(60%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	67443/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लागू हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	67443/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	4222/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	63221/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1641/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2814/06-07 दिनांक: 12.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- अधिशारी अभियन्ता, पेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, गाजियाबाद।
- श्री कृष्ण गोपाल वार्ष्णेय, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-76, रो०-01, चिरंजीवि विहार, गाजियाबाद।
- सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत--
पंजीकृत--

राम बलद्वर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1474 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2821 / 06-07

दिनांक: 07.02.19

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गाजियाबाद।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्रीमती शकुन्तला अरोड़ा पत्नी स्व० राधेश्याम अरोड़ा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्रीमती शकुन्तला अरोड़ा पत्नी स्व० राधेश्याम अरोड़ा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3039 दिनांक 08.11.2006
(ग) जन्मतिथि	:	01.01.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती शकुन्तला अरोड़ा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	15.12.1946
- | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.12.2004 / 05.02.2008 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 16400-20000 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) | : | 37400-67000 ग्रे०पे० 8900 |
| (घ) वेतन | : | 20000/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | लागू नहीं |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | लागू नहीं |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | लागू नहीं |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | लागू नहीं |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1474 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2821 / 06-07 दिनांक: 07.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गाजियाबाद।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, गाजियाबाद को सेवापुस्तिका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
- श्रीमती शकुन्तला अरोड़ा पत्नी स्व० राधेश्याम अरोड़ा, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-का०-125, रविनगर, गाजियाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1634/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/873/02-03

दिनांक: 12.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

सोनभद्र।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती लिली चक्रवर्ती पत्नी स्व० रामनाथ चक्रवर्ती, सेवानिवृत्त अभियन्ता फ़ैरोमैन की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती लिली चक्रवर्ती पत्नी स्व० रामनाथ चक्रवर्ती, सेवानिवृत्त अभियन्ता फ़ैरोमैन की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	912 दिनांक 05.08.2002
(ग) जन्मतिथि	:	14.12.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती लिली चक्रवर्ती
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	14.12.1943
(क) मृत्यु तिथि	:	31.12.2001
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	8730/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3492/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	5238/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	लागू नही
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	5250/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नही
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नही
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नही
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नही
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नही
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नही
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	लागू नही
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नही

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1634/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/873/02-03

दिनांक: 12.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. उप मुख्य लेखाधिकारी, जल विद्युत संयंत्र खण्ड, ओबरा, सोनभद्र।
3. श्रीमती लिली चक्रवर्ती पत्नी स्व० रामनाथ चक्रवर्ती, से०नि० अभियन्ता फ़ैरोमैन, निवासी-सतरापाड़ा, पो०-कोलीसानी, चन्दन नगर, (पश्चिम बंगाल)
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1394 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4128 / 07-08

दिनांक: 05.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

सोनभद्र।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती धर्मशीला देवी पत्नी स्व० अमरनाथ, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती धर्मशीला देवी पत्नी स्व० अमरनाथ, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3489 दिनांक 26.02.2008
(ग) जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती धर्मशीला देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	15.07.1972
2. (क) मृत्यु तिथि	:	29.05.2006
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	9300-34800 ग्रे०पे० 5400
(ग) वेतनमान / वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 5400
(घ) वेतन	:	10750 /-
(ङ) मूल पेंशन	:	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	4332 /-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	2599 /-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	लागू नहीं

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	67200 /-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	33600 /-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	20160 /-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन / पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित / संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1394 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4128 / 07-08
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 05.02.2019

- अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- मुख्य महाप्रबन्धक(वित्ति अनुभाग), अनपरा तापीय परियोजना, अनपरा सोनभद्र को सेवापुरितका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
- उपमुख्य लेखाधिकारी, विद्युत भुगतान एवं लेखा खण्ड, अनपरा सोनभद्र।
- श्रीमती धर्मशीला देवी पत्नी स्व० अमरनाथ, से०नि० अवर अभियन्ता, 1550 ऐ०टी०पी० कालोनी-अनपरा, सोनभद्र।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1650/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/785/02-03

दिनांक: 13.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
सोनभद्र।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री मोती लाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री मोती लाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है:-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	810 दिनांक 24.05.2002
(ग) जन्मतिथि	:	14.12.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती भूलन देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.01.2001
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	5879/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2351/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3528/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3975/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	59 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	62174/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2351/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	63199/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1650/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/785/02-03 दिनांक: 13.02.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशारी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशारी अभियन्ता, जल विद्युत संयन्त्र खण्ड, ओबरा, सोनभद्र।
- श्री मोती लाल, सो०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-री०सी० 179, ओबरा, सोनभद्र।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राज बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1332/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/875/02-03

दिनांक: 02.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
बलिया।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री अभय कुमार, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री अभय कुमार, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	978 दिनांक 30.09.2002
(ग) जन्मतिथि	:	01.03.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती नन्द रानी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	28.02.2001
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे0 8900
(घ) वेतन	:	19550/-
(ङ) मूल पेंशन	:	6365/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2546/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3819/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3878/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2546/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	69550/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1332/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/875/02-03 दिनांक: 02.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण एवं परिचालन खण्ड, आजमगढ़ को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बलिया
4. श्री अभय कुमार, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ग्राम०-गढिया, पो०-रसडा, जि०-बलिया।
5. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय (हाइडिल)

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1410/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1265/03-04

दिनांक: 05.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
बलिया।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री हृदय नारायण पाण्डेय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री हृदय नारायण पाण्डेय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1410 दिनांक 30.08.2003
(ग) जन्मतिथि	:	01.01.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती रुद्रावती देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	08.04.1946
- | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.12.2002 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 16400-20000 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) | : | 37400-67000 ग्रे०पे० 8900 |
| (घ) वेतन | : | 19550/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 5999/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 2399/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 3600/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 3780/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 63 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	66389/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	66389/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2399/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	63990/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1410/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1265/03-04 दिनांक: 05.02.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशायी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशायी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बलिया।
- श्री हृदय नारायण पाण्डेय, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-वृद्धासिटी कालोनी फेस-01, सारनाथ, वाराणसी।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1095/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1221/03-04

दिनांक: 29.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
नोएडा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी स्व० राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी स्व० राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1316 दिनांक 27.06.03
(ग) जन्मतिथि	:	01.07.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सुनीता शर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्ति/मृत्यु तिथि	:	30.06.2002 / 25.11.2016
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ) वेतन	:	19550/-
(ङ) मूल पेंशन	:	5613/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2245/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3368/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3683/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	61 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	64282/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2245/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	63305/- दि० 25.11.2016 तक
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/- दि० 26.11.2016 से अग्रेतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1095/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1221/03-04
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 29.01.19

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, नोएडा।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड-प्रथम, 11/बी/119, पंजाब नेशनल बैंक के उपर नोएडा को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
4. श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी स्व० राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, सं०नि० अवर अभियन्ता, 1-320, गोविन्दपुरम, गाजियाबाद।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1102/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/580/04-05

दिनांक: 29.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

नोएडा।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती शीला देवी पत्नी स्व० भानू प्रकाश शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती शीला देवी पत्नी स्व० भानू प्रकाश शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	669 दिनांक 18.11.1997
(ग) जन्मतिथि	:	-
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती शीला देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	30.04.1942
(क) मृत्यु तिथि	:	07.11.1994
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	1850-2930
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रेड पे० 4200
(घ) वेतन	:	2705/-
(ङ) मूल पेंशन	:	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	581/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	लागू नहीं

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	06(बी)
(ख) निर्धारित वेतन	:	55600/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	16680/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1102/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/580/97-98

दिनांक: 29.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड-प्रथम। 111 बी/119, पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर नोएडा को सेवापुरितका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।

3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, नोएडा।

4. श्रीमती शीला देवी पत्नी स्व० भानू प्रकाश शर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, म०न० 05 हाइडिल कालोनी सेक्टर-20, नोएडा।

5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

29/1/19



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1222/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4653/10-11

दिनांक: 31.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
नोएडा।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री सागर चन्द्र जैन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री सागर चन्द्र जैन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4274 दिनांक 21.12.2010
(ग) जन्मतिथि	:	09.05.1950
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती मिथलेश जैन
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	18.04.1962
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.05.2010
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	62160/-
(ङ) मूल पेंशन	:	31080/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	12432/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	18648/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	31080/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	18648/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	161300/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	80650/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	80650/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	12432/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	68218/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	80650/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	48390/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1222/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4653/10-11 दिनांक: 31.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशारी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, नोएडा।
- श्री सागर चन्द्र जैन, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-डी-303, राम प्रस्था, गाजियाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1282/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/781/99-2000

दिनांक: 01.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री राज कुमार भसीन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री राज कुमार भसीन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	889 दिनांक 21.05.1999
(ग) जन्मतिथि	:	12.01.1941
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती पुष्पा कुमारी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	22.08.1939
- | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.01.1999 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 16400-20000 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 37400-67000 ग्रेड पे 8900 |
| (घ) वेतन | : | 18650/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 9213/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 2812/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 6401/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | 5595/- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 4170/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 66 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	67550/- (67500/-) - 2812/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2812/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	64688/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1282/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/781/99-2000 दिनांक: 01.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड-प्रथम, गाजियाबाद को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, गाजियाबाद।
- श्री राज कुमार भसीन, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-डी-01, टण्डन रोड, आदर्श नगर, दिल्ली।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1620/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/623/01-02

दिनांक: 12.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री रामपाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री रामपाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	646 दिनांक 18.12.2001
(ग) जन्मतिथि	:	07.07.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती चन्द्रवती राजपूत
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	31.12.1947
- | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.07.2001 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 16400-20000 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 37400-67000 ग्रे०पे० 8900 |
| (घ) वेतन | : | 20000/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 7600/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 3040/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 4560/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | - |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 4560/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 66 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3040/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	66510/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1620/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/623/01-02 दिनांक: 12.02.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, गाजियाबाद।
- श्री रामपाल सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, के०जे० 155 न्यू कवि नगर गाजियाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

(Handwritten signature)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1291/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1129/02-03

दिनांक: 01.02.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
सोनभद्र।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री मोहन प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री मोहन प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1177 दिनांक 19.03.2003
(ग) जन्मतिथि	:	31.10.2044
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती रमावती गुप्ता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
- | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.10.2002 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 10650-15200 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 15600-39100 ग्रे०पे० 6600 |
| (घ) वेतन | : | 12925/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 5200/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 2080/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 3120/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 3120/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 66 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	11
(ख) निर्धारित वेतन	:	80900/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	40450/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	33850/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	40450/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2080/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	38370/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	24270/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1291/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1129/02-03 दिनांक: 01.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशारी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- मुख्य महाप्रबन्धक, ओबरा तापीय विद्युत परियोजना, ओबरा, सोनभद्र को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत जल संयंत्र खण्ड, ओबरा, सोनभद्र।
- श्री मोहन प्रसाद, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-6-जी-02, ओबरा, सोनभद्र।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

सम बहादुर

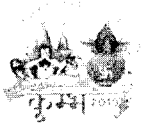
लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1568 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6071 / 14-15

दिनांक: 08.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मथुरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5158 दिनांक 24.07.2014
(ग) जन्मतिथि	:	17.07.1952
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती वीना अग्रवाल
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2012
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	34390/-
(ङ) मूल पेंशन	:	17195/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6878/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	10317/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	17195/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	10317/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	90300/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	45150/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	45150/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6878/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	38272/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	45150/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	27090/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1568 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6071 / 14-15 दिनांक: 08.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशारी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय, अलीगढ़ को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मथुरा।
- श्री रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी -गौ०-पंचशील कालोनी, सिंडीकेड बैंक के पीछे, कोसी कलाँ, मथुरा।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

दस्तावेज संख्या: 1568 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6071 / 14-15



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1473/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4511/09-10

दिनांक: 06.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती कनीज फातिमा पत्नी स्व० रहमत अली, सेवानिवृत्त कार्यालय सहायक-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती कनीज फातिमा पत्नी स्व० रहमत अली, सेवानिवृत्त कार्यालय सहायक-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4124 दिनांक 26.02.2010
(ग) जन्मतिथि	:	01.08.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती कनीज फातिमा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	05.07.1962
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2005 / 14.04.2015
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	8550-13500
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	15600-39100 ग्रे०पे० 5400
(घ) वेतन	:	12125/-
(ङ) मूल पेंशन	:	8563/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3425/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	5138/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	5456/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	63 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	10
(ख) निर्धारित वेतन	:	73200/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	21960/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: /मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4511/09-10 दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, देब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. मुख्य महाप्रबंधक, जाँच समिति-द्वितीय, लखनऊ को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।

3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

4. श्रीमती कनीज फातिमा पत्नी स्व० रहमत अली, से०गि० कार्यालय सहायक-प्रथम, निवासी-84/258, कटरा, मकबूलगंज, लखनऊ।

5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1344/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4516/09-10

दिनांक: 02.02.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री जकी उल्ला खॉं, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री जकी उल्ला खॉं, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4129 दिनांक 02.03.2010
(ग) जन्मतिथि	:	17.12.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती निगहत खान
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.12.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	8550-13500
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 5400
(घ) वेतन	:	13500/-
(ङ) मूल पेंशन	:	10125/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	4050/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	6075/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	6075/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	80200/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	40100/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	40100/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	4050/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	36050/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	24060/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1344/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4516/09-10 दिनांक: 02.02.19

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
- श्री जकी उल्ला खॉं, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-182, राम नगर कालोनी, ऐशबाग, लखनऊ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)
 कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
 लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1662/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1087/02-03

दिनांक: 13.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री गोपाल नारायण सक्सेना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री गोपाल नारायण सक्सेना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	1116 दिनांक 13.02.03
(ग) जन्मतिथि	:	18.07.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सुधा सक्सेना
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	17.03.1954
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे0 8900
(घ) वेतन	:	19550/-
(ङ) मूल पेंशन	:	5921/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2368/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3553/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नही
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3780/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	63 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० --- दिनांक --- द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	66389/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	66389/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2368/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो युका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	64021/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नही
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नही

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रसार-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1662/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1087/02-03 दिनांक: 13.02.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
3. श्री गोपाल नारायण सक्सेना, से0भि0 अवर अभियन्ता, निवासी से० 03, विकास नगर, लखनऊ।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत--
पंजीकृत--

राम बहादुर

लेखाधिकारी (पेंशन)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1775/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/968/02-03
मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

दिनांक: 15.02.19

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्रीमती मालती श्रीवास्तव पत्नी स्व० विनोद कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्रीमती मालती श्रीवास्तव पत्नी स्व० विनोद कुमार श्रीवास्तव, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1211 दिनांक 08.04.2003
(ग) जन्मतिथि	:	26.01.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती मालती श्रीवास्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) मृत्यु तिथि	:	08.01.1999
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	9300-34800 ग्रे०पे० 5400
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	10750/-
(घ) वेतन	:	लागू नहीं
(ङ) मूल पेंशन	:	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3225/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	-

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	67200/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	20160/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

(हस्ताक्षर)

संख्या: 1775/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/968/02-03

दिनांक: 15.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. श्रीमती मालती श्रीवास्तव पत्नी स्व० विनोद कुमार श्रीवास्तव, अवर अभियन्ता, सेक्टर-6 सी-4232, राजाजीपुरम, लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1644 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 199 (टी०सी०) / 95-96

दिनांक: 13.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री जगदीश प्रसाद वर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री जगदीश प्रसाद वर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	235 दिनांक 12.06.1995
(ग) जन्मतिथि	:	12.01.1937
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती प्रेमलता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
(क) सेवानिवृत्त / मृत्यु तिथि	:	31.01.1995
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	1850-2930
(ग) वेतनमान / वेतन बैंड (ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 4200
(घ) वेतन	:	2705 / -
(ङ) मूल पेंशन	:	1452 / -
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	484 / -
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	968 / -
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	581 / -
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	6बी
(ख) निर्धारित वेतन	:	55600 / -

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार (50%)	:	27800 / -
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	18400 / -
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	27800 / -
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	पुनर्स्थापित
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	27800 / -
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	16680 / -
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	5560 / - (20% ज्यादा) दिनांक 12.01.2017 से

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन / पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित / संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1644 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 199 (टी०सी०) / 95-96 दिनांक: 13.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, खुर्रमनगर, लखनऊ।
3. श्री जगदीश प्रसाद वर्मा, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-सी०-284, इन्द्रा नगर, लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम रंजित
लेखाधिकारी (पेंशन)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1833/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6618/16-17

दिनांक: 18.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राम सेवक पाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राम सेवक पाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5690 दिनांक 12.09.2016
(ग) जन्मतिथि	:	20.12.55
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती राम दुलारी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	18.03.1958
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.12.2015
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	9300-34800 ग्रे०पे० 4800
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 4800
(घ) वेतन	:	22790/-
(ङ) मूल पेंशन	:	11395/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	4558/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	6837/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	11395/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	6837/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	08
(ख) निर्धारित वेतन	:	58600/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	29300/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	23800/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	29300/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	4558/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	24742/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	29300/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	17580/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1833/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6618/16-17 दिनांक: 18.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
3. श्री राम सेवक पाल, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-7/452, मो०-विकास नगर, सं०-07, लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० (हाइड्रिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1776/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6417/15-16

दिनांक: 15.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री अरुण कुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री अरुण कुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5476 दिनांक 30.09.2015
(ग) जन्मतिथि	:	01.07.1955
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सावित्री मिश्रा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	01.07.1961
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.06.2015
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	31160/-
(ङ) मूल पेंशन	:	15580/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6232/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	9348/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	15580/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	9348/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	80200/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(60%)	:	40100/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	40100/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6232/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	33868/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	40100/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	24060/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1776/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6417/15-16

दिनांक: 15.02.19

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, जानकीपुरम्, लखनऊ।।

3. श्री अरुण कुमार मिश्रा, से०नि० अवर अभियन्ता, ई०एस०आई०/164, सेक्टर ए सीतापुर रोड स्कीम, अलीगंज लखनऊ।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम देहादुर

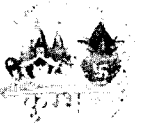
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1588/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/228/95-96

दिनांक: 11.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती श्यामलता पत्नी स्व० जगदीश चन्द्र श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त तकनीकी सहायक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती श्यामलता पत्नी स्व० जगदीश चन्द्र श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त तकनीकी सहायक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	302 दिनांक 26.09.1995
(ग) जन्मतिथि	:	-
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती श्याम लता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	20.12.1940
2. (क) मृत्यु तिथि	:	30.06.1995 10.1.2001
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	1850-2930
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 4200
(घ) वेतन	:	2780/-
(ङ) मूल पेंशन	:	1452/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	484/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	968/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	581/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	लागू नहीं

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	06(बी)
(ख) निर्धारित वेतन	:	57300/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	17190/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1588/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/228/95-96

दिनांक: 11.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. श्रीमती श्याम लता पत्नी स्व० जगदीश चन्द्र श्रीवास्तव, से०नि० तकनीकी सहायक, 545ग/29घ/2, चांद गंज गार्डन लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1621/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1533/03-04

दिनांक: 12.02.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री मो० असलम, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री मो० असलम, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1588 दिनांक 09.01.2004
(ग) जन्मतिथि	:	06.09.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती हाजरा बानो
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	-
- | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 30.09.2003 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 16400-20000 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 37400-67000 ग्रे०पे० 8900 |
| (घ) वेतन | : | 20000/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 7770/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 2102/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 5668/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | 7770/- |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 96787/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 51 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	53744/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2102/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	63448/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1621/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1533/03-04 दिनांक: 12.02.19
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशायी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशायी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- श्री मो० असलम, से०नि० अवर अभियन्ता, 881/7, सेक्टर-8, विकास नगर लखनऊ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

आदेशित पत्र सं० 444 दिनांक 11.04.2018



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 977/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4472/09-10

दिनांक: 24.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
बुलन्दशहर।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री श्रीपाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री श्रीपाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4072 दिनांक 16.01.2010
(ग) जन्मतिथि	:	20.07.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती कुसुम लता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	07.08.1950
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2009
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	9300-34800 ग्रे०पे० 5400
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 5400
(घ) वेतन	:	30330/-
(ङ) मूल पेंशन	:	13730/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	5492/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	8238/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	13730/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	8238/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	80200/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	40100/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	40100/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	5492/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	34608/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	40100/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	24060/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 977/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4472/09-10 दिनांक: 24.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड, बुलन्दशहर को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बुलन्दशहर।
4. श्री श्रीपाल सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-डी०-०७, यमुनापुरम निकट-साईबाबा मन्दिर, बुलन्दशहर।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1440/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2682/06-07

दिनांक: 06.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,
इटावा।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती पदमा दुबे पत्नी स्व० सन्तोष कुमार दुबे, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती पदमा दुबे पत्नी स्व० सन्तोष कुमार दुबे, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2907 दिनांक 03.08.2006
(ग) जन्मतिथि	:	01.06.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती पदमा दुबे
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	12.12.1956
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.05.2005/04.07.2010
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	5670/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	लागू नहीं

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1440/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2682/06-07

दिनांक: 06.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, इटावा।

3. श्रीमती पदमा दुबे पत्नी स्व० सन्तोष कुमार दुबे, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-अन्धावा हाउस, तकिया आजाद गान, इटावा।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

(हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1462/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4739/11-12

दिनांक: 07.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
सहारनपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री सुभाष चन्द्र, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सुभाष चन्द्र, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पीपीओ संख्या एवं दिनांक	:	4459 दिनांक 25.05.2011
(ग) जन्मतिथि	:	25.09.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती बीना मक्कड़
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	-
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.09.2009
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	37400-67000 ग्रेड 8900
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड 8900
(घ) वेतन	:	62160/-
(ङ) मूल पेंशन	:	25055/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	10022/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	15033/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	25055/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	15033/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	161300/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	80650/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	79429/- लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	80650/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	10022/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	70628/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	80650/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	48390/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1462/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4739/11-12 दिनांक: 07.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशारी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, सहारनपुर।
- श्री सुभाष चन्द्र, से०नि० अवर अभियन्ता, एस-16, हकीकतनगर सहारनपुर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1583/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4902/12-13

दिनांक: 11.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
सहारनपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री महबूब हसन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री महबूब हसन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4620 दिनांक 18.04.2012
(ग) जन्मतिथि	:	01.07.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती नसीमा बानो
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.06.2009
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	58580/--
(ङ) मूल पेंशन	:	29290/--
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	9730/--
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	19560/--
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	29290/--
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	17574/--
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को पश्चिमेय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	152000/--

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	76000/--
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/--
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	76000/--
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	9730/--
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	66270/--
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	76000/--
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	45600/--
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1583/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4902/12-13 दिनांक: 11.02.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, सहारनपुर।
3. श्री महबूब हसन, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-483, रामपुर, बुँगी (चौक), मेनबाजार रोड, रुडकी, जनपद, हरिद्वार।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

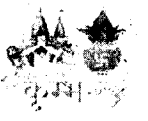
पंजीकृत -
पंजीकृत -

लेखाधिकारी-पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1582/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5190/13-14

दिनांक: 11.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
सहारनपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री अवतार सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री अवतार सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	4919 दिनांक 29.06.2013
(ग) जन्मतिथि	:	09.02.1952
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती कुलदीप कौर
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	29.02.2012
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रेड पे 5400
(घ) वेतन	:	31580/-
(ङ) मूल पेंशन	:	15790/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6314/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	9474/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	15790/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	9474/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) मैट्रिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	82600/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	41300/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	41300/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6316/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	34984/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	41300/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	24780/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1582/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5190/13-14 दिनांक: 11.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, मुजफ्फरनगर को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड-प्रथम, सहारनपुर।
4. श्री अवतार सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-1483/4सी०, न्यू सारदा नगर, नावा रोड, सहारनपुर।
5. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत -
पंजीकृत -
पंजीकृत -

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1117 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6915 / 17-18

दिनांक: 29.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
सहारनपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री दर्शन कुमार, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री दर्शन कुमार, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5994 दिनांक 07.02.2018
(ग) जन्मतिथि	:	20.10.1952
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सन्तोष शर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	05.03.1953
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.10.2012
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	33770/-
(ङ) मूल पेंशन	:	16885/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6754/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	10131/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	16885/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	10131/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	87700/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	43850/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	43850/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6754/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	37096/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	43850/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	26310/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1117 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6915 / 17-18 दिनांक: 29.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, गाजियाबाद।
- श्री दर्शन कुमार, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-से०-23, के मकान न०-1069, संजय नगर, गाजियाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1037/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5108/13-14

दिनांक: 25.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
सहारनपुर।

विषय:— कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री मीर सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री मीर सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4886 दिनांक 21.05.2013
(ग) जन्मतिथि	:	01.05.1952
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती बिरमलता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.04.2012
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	29120/-
(ङ) मूल पेंशन	:	14560/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	5824/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	8736/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	14560/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	8736/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० — दिनांक — द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	75600/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	37800/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	37800/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	5824/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	31976/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	37800/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	22680/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1037/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5108/13-14

दिनांक: 25.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, सहारनपुर।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, सहारनपुर को सेवापुस्तिका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
- श्री मीर सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-1322, प्रीत बिहार, रुडकी।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1333/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4786/11-12

दिनांक: 02.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री हरीश बाबू सक्सेना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री हरीश बाबू सक्सेना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4515 दिनांक 13.09.2011
(ग) जन्मतिथि	:	01.07.1950
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती आशा रानी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	30.06.1960
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.06.2010
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8700
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8700
(घ) वेतन	:	52930/-
(ङ) मूल पेंशन	:	25055/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	10022/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	15033/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	25055/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	15033/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	12
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	61550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	10022/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	59528/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	69550/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1333/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4786/11-12 दिनांक: 02.02.19
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

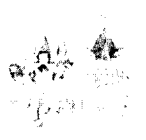
1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, गाजियाबाद को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, गाजियाबाद।
4. श्री हरीश बाबू सक्सेना, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-594, न्यू कोट, गांव-जी०टी०, रोड, गाजियाबाद।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1637 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 1032 / 02-03

दिनांक: 12.02.2019

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 जिला कोषागार,
 अलीगढ़।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती रीना कुमारी पत्नी स्व० अमर सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती रीना कुमारी पत्नी स्व० अमर सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है:-

1. पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1063 दिनांक 18.01.2003
(ग) जन्मतिथि	:	11.01.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती रीना कुमारी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) मृत्यु तिथि	:	31.01.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान / वेतन बैंड (ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ) वेतन	:	20000 / --
(ङ) मूल पेंशन	:	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4268 / --
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	लागू नहीं

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100 / --

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार (50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730 / --
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रतर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन / पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित / संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1637 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 1032 / 02-03 दिनांक: 12.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. उप मुख्य लेखाधिकारी, विद्युत भुगतान एवं लेखा खण्ड, काशिमपुर, अलीगढ़।

3. श्रीमती रीना कुमारी पत्नी स्व० अमर सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ग्रा० व पो० नमैनी, जिला-एटा।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
 कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
 लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1442/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/824/99-2000

दिनांक: 06.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री चन्द्रभान भरद्वाज, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री चन्द्रभान भरद्वाज, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1096 दिनांक 04.02.2003
(ग) जन्मतिथि	:	01.08.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती संतोष लता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अकित नहीं
- | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि | : | 31.07.2001 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान | : | 8550-13500 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 5400 |
| (घ) वेतन | : | 10475/- |
| (ङ) मूल पेंशन | : | 5169/- |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग | : | 2067/- |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 3102/- |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 3143/- |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा | : | 66 छमाही |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	65200/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	32600/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्ता क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	32600/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2067/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	30533/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	19560/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1442/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1018/02-03 दिनांक: 06.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- उपमुख्य लेखाधिकारी, विद्युत भुगतान एवं लेखा खण्ड, उ०प्र०शा०वि०उ०नि०लि०, कासिमपुर अलीगढ़।
- श्री चन्द्रभान, से०नि० अवर अभियन्ता, बी-78 नई कालोनी कासिमपुर अलीगढ़।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

मुख्य लेखाधिकारी

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कारपोरेशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1099/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2512/08-09

दिनांक: 29.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती कुमुद श्रोतिया पत्नी स्व० हरी प्रसाद श्रोतिया, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती कुमुद श्रोतिया पत्नी स्व० हरी प्रसाद श्रोतिया, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2734 दिनांक 27.04.2006
(ग) जन्मतिथि	:	26.11.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती कुमुद श्रोतिया
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	20.11.1953
2. (क) मृत्यु तिथि	:	14.10.2009(मृत्यु)
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	10650-15200
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	15600-39100 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	12600/-
(ङ) मूल पेंशन	:	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	5670/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	लागू नहीं

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	11
(ख) निर्धारित वेतन	:	78500/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	23550/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1099/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2512/08-09
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 29.01.19

✓ अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

2. उपमुख्य लेखाधिकारी, विद्युत भुगतान एवं लेखा खण्ड, कासिमपुर अलीगढ़।

3. श्रीमती कुमुद श्रोतिया पत्नी स्व० हरी प्रसाद श्रोतिया, से०नि० अवर अभियन्ता, मोहल्ला लाहौरियान वाली गली संस्कृत विद्यालय के पास काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर उत्तरांचल।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

राम बहादुर
लेखाधिकारी (पेंशन)
कारपोरेशन मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 981/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1063/02-03(टी0सी0) दिनांक: 24.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
अलीगढ़।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री दुर्ग विजय सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री दुर्ग विजय सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1103 दिनांक 07.02.2003 ✓
(ग) जन्मतिथि	:	01.07.1943 ✓
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती विचित्रा देवी ✓
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं ✓
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.06.2001 ✓
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000 ✓
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे 8900 ✓
(घ) वेतन	:	20000/- ✓
(ङ) मूल पेंशन	:	6469/- ✓
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2587/- ✓
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3882/- ✓
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	6469/- ✓
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4268/- ✓
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	61 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमैटिक्स	:	13 ✓
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/- ✓

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/- ✓
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	64282/- ✓
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/- ✓
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/- ✓
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2587/- ✓
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	62963/- ✓
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं ✓
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/- ✓
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 981/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1063/02-03 दिनांक: 24.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, अलीगढ़ को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. श्री दुर्गा विजय सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-1/1ए-15, बसन्त विहार कॉलोनी, जी०डी० रोड, अलीगढ़।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

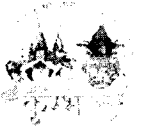
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1567 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4546 / 10-11

दिनांक: 08.02.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
अलीगढ़।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री उमेश चन्द्र, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री उमेश चन्द्र, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4168 दिनांक 07.05.2010
(ग) जन्मतिथि	:	12.01.1950
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती मीना बाबू
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	02.11.1953
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.01.2010
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	37400-67000 ग्रे० पे० 8900
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे० पे० 8900
(घ) वेतन	:	62160 /-
(ङ) मूल पेंशन	:	25055 /-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	10022 /-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	15033 /-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	25055 /-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	15033 /-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	161300 /-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	80650 /-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550 /-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	80650 /-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	10022 /-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	70628 /-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	80650 /-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	48390 /-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1567 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4546 / 10-11 दिनांक: 08.02.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. उप मुख्य लेखाधिकारी, विद्युत भुगतान एवं लेखा खण्ड, काशिमपुर, अलीगढ़।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत कय खण्ड स, ता०शा०प०हा०ता०, पारियोजना, काशिमपुर, अलीगढ़ को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
4. श्री उमेश चन्द्र, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-2/2115, गली नं०-02, राम बाग कालोनी, अलीगढ़।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत--
पंजीकृत--
पंजीकृत--

राम उहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छाता तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1330/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2180/04-05

दिनांक: 02.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री शिव कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री शिव कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2366 दिनांक 11.07.2005
(ग) जन्मतिथि	:	01.07.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती राज कुमारी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	17.07.1947
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.06.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	17750/-
(ङ) मूल पेंशन	:	4550/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	1820/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	2730/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	2730/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	67500/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2281/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	65219/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	लागू नहीं
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	40500/-
	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1330/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2180/04-05 दिनांक: 02.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत अनु० खण्ड-तृतीय, कासिमपुर को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. उपमुख्य लेखाधिकारी, विद्युत भुगतार एवं लेखा खण्ड, कासिमपुर।
4. श्री शिव कुमार गुप्ता, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-59/15, टाईप-3, कासिमपुर, अलीगढ़।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1321/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/920/99-2000

दिनांक: 02.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री हर प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री हर प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1035 दिनांक 16.12.1999
(ग) जन्मतिथि	:	22.07.1940
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती बसंती देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.1998
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	8550-13500
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 5500
(घ) वेतन	:	9925/-
(ङ) मूल पेंशन	:	4660/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	1864/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	2796/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	2820/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	61500/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	30750/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	30750/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	30750/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	लागू नहीं
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	18450/-
(ण) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1321/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/920/99-2000 दिनांक: 02.02.19
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. वरिष्ठ, लेखाधिकारी, विद्युत भुगतार एवं लेखा खण्ड, कासिमपुर, अलीगढ़।
3. श्री हर प्रसाद सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ग्राम०- सुरजावली, पो०-पहाखू, जिला-बुलन्दशहर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कारपोरेशन लि० (हाइडिल)

पंजीकृत-
पंजीकृत-



संख्या: 1759/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6862/17-18

दिनांक: 15.02.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,
अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती कुसुम पत्नी स्व० यशपाल सिंह, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती कुसुम पत्नी स्व० यशपाल सिंह, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5935 दिनांक 13.11.2017
(ग) जन्मतिथि	:	05.06.1964
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती कुसुम
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	11.06.1976

2. (क) मृत्यु तिथि

(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	9300-34800 ग्रे०पे० 4200
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 4200
(घ) वेतन	:	19110/-
(ङ) मूल पेंशन	:	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बड़ी दर पर	:	9555/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	5733/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	लागू नहीं

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	6 ए
(ख) निर्धारित वेतन	:	49400/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बड़ी हुई दर पर)	:	24700/- दिनांक 27.03.2025 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	14820/- दिनांक 28.03.2025 से
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1759/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6862/17-18

दिनांक: 15.02.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

पंजीकृत-

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, फतेहगढ़।

पंजीकृत-

3. श्रीमती कुसुम पत्नी स्व० यशपाल सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-132, के०वी, उपसंस्थान कालोनी, बेबर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

राम दहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ